रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04012025-259919
CG-MH-E-04012025-259919

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 07] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/पौष 13, 1946
No. 07] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSHA 13, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 2 जनवरी, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के तहत अधिसूचना

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/223.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अनुसार, बोर्ड, अधिसूचना जारी करके, किसी भी प्रवर्ग के सहयुक्त व्यक्तियों (जैसा विनियमों में परिभाषित किया गया है) से यह कह सकेगा कि वे जरूरी प्रमाणपत्र प्राप्त करें।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 के विनियम 7 के उप-विनियम (2) के अनुसार, बोर्ड ने तारीख 19 जून, 2013 की अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/13/6109 और तारीख 27 जनवरी, 2014 की अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/42/118 जारी की थी, जिनके अनुसार निवेश सलाह देने में जुटे हुए निवेश (विनिधान) सलाहकारों और उनके सहयुक्त (सहयोगी) व्यक्तियों (जिनमें उनके भागीदार और प्रतिनिधि भी शामिल हैं) के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान की तारीख 21 मई, 2013 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज़-X-ए:आईए-एल1/2013/01 में बताई गई “एनआईएसएम-श्रृंखला-X-ए: निवेश सलाहकार (स्तर 1) प्रमाणीकरण परीक्षा” उत्तीर्ण करके और राष्ट्रीय प्रतिभूति

बाजार संस्थान की तारीख 26 नवम्बर, 2013 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज़-X-बी:आईए-एल2/2013/01 में बताई गई "एनआईएसएम-श्रृंखला-X-बी: निवेश सलाहकार (स्तर 2) प्रमाणीकरण परीक्षा" उत्तीर्ण करके राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान का (के) प्रमाणपत्र हासिल करना जरूरी था ।

3. अब, बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 के विनियम 7 के उप-विनियम (2) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अनुसार, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि एकल (इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार या 'एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार' का मुख्य अधिकारी, निवेश सलाह से जुड़े व्यक्ति और यदि निवेश सलाहकार एक भागीदार फर्म (पार्टनरशिप फर्म) हो तो उसके भागीदार (पार्टनर) (जो निवेश सलाह देने में जुटे हुए हों):

(i) राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान की तारीख 21 मई, 2013 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज़-X-ए:आईए-एल1/2013/01 में बताई गई "एनआईएसएम-श्रृंखला-X-ए: निवेश सलाहकार (स्तर 1) प्रमाणीकरण परीक्षा" उत्तीर्ण करके और राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान की तारीख 26 नवम्बर, 2013 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज़-X-बी:आईए-एल2/2013/01 में बताई गई "एनआईएसएम-श्रृंखला-X-बी: निवेश सलाहकार (स्तर 2) प्रमाणीकरण परीक्षा" उत्तीर्ण करके राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान का (के) प्रमाणपत्र हासिल करेगा (करेंगे) ।

(ii) मौजूदा प्रमाणपत्र (प्रमाणीकरण / सर्टिफिकेशन) की मान्यता की अवधि समाप्त होने से पहले ही, राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान की तारीख 5 नवम्बर, 2024 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/एनआईएसएम-सीरीज़-X-सी: निवेश सलाहकार प्रमाणीकरण (पुनरीक्षण) परीक्षा/2024/01 में बताई गई "एनआईएसएम-श्रृंखला-X-C: निवेश सलाहकार प्रमाणीकरण (पुनरीक्षण) परीक्षा" उत्तीर्ण करके प्रमाणपत्र हासिल करेगा (करेंगे), ताकि प्रमाणपत्र से संबंधित अपेक्षाओं का सदैव पालन सुनिश्चित होता रहे ।

4. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी ।

5. इस अधिसूचना के प्रकाशित होते ही तारीख 19 जून, 2013 की अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/13/6109 और तारीख 27 जनवरी, 2014 की अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/42/118 निरस्त हो जाएँगी (किंतु इन अधिसूचनाओं के निरस्त होने से पहले जो कुछ भी किया गया हो या न किया गया हो, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा) ।

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./863/2024-25]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd January, 2025

Notification under Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/223.—In terms of sub-regulation (1) of Regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 (hereinafter referred to as "the CAPS Regulations, 2007"), the Board may require, by notification, any category of associated persons as defined in the Regulations to obtain requisite certification(s).

2. In terms of sub-regulation (2) of Regulation 7 of Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 (hereinafter referred to as "the IA Regulations, 2013"), the Board had issued Notification No. LAD-NRO/GN/2013-14/13/6109 dated June 19, 2013 and Notification No. LAD-NRO/GN/2013-14/42/118 dated January 27, 2014, as per which investment advisers and their associated persons, including their partners and representatives, offering investment advice, were required to obtain certification(s) from the National Institute of Securities Markets by passing NISM Series-X-A: Investment Adviser (Level 1) Certification Examination and NISM Series-X-B: Investment Adviser (Level 2) Certification Examination, as mentioned in the NISM communiqué No. NISM/Certification/Series-X-A: IA-L1/2013/01 dated May 21, 2013 and NISM communiqué No. NISM/Certification/Series-X-B: IA-L2/2013/01 dated November 26, 2013 respectively.

3. Now, in terms of Regulation 3 of the CAPS Regulations, 2007 read with sub-regulation (2) of Regulation 7 of the IA Regulations, 2013, the Board hereby notifies, that an individual investment adviser or principal officer of a non-individual investment adviser, persons associated with investment advice and the partners of an investment adviser being a partnership firm, who are engaged in providing investment advice:

(i) shall obtain certification(s) from the National Institute of Securities Markets by passing the NISM-Series-X-A: Investment Adviser (Level 1) Certification Examination as mentioned in the NISM communiqué No. NISM/Certification/Series-X-A: IA-L1/2013/01 dated May 21, 2013 and NISM-Series-X-B: Investment Adviser (Level 2) Certification Examination as mentioned in the NISM communiqué No. NISM/Certification/Series-X-B: IA-L2/2013/01 dated November 26, 2013.

(ii) shall in order to ensure continuity in the compliance with the certification requirements, before expiry of the validity of the existing certification, obtain the certification by passing the NISM-Series-X-C: Investment Adviser Certification (Renewal) Examination as mentioned in the NISM communiqué No. NISM/Certification/NISM-Series-X-C: Investment Adviser Certification (Renewal) Examination/2024/01 dated November 5, 2024.

4. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

5. The Notification No. LAD-NRO/GN/13/2013-14/6109 dated June 19, 2013 and Notification No. LAD-NRO/GN/2013-14/42/118 dated January 27, 2014, except for the things done or omitted to be done, shall stand rescinded with the publication of this notification.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./863/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.01.04 17:17:13 +05'30'